न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश।
व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर।
NDPS(gr)no.- 44/2021
Hajipur Sadar P.S. Case no.- 648/2021

धारा 20/22/23/24/27/29 एन.डी.पी.एस. अधि0।

25.04.2023 दिनांक 17.07.2021 से काराधीन अभियुक्त संजय पासवान उर्फ संजय कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह की ओर से जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिस जमानत आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री प्रहलाद चौरसिया, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। उभय पक्षो को सुना।

संक्षेप मे प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि गुप्त सूचना के आधार पर पु.अ.नि. धर्मेन्द्र कुमार सदर थाना द्वारा शसस्त्र बल के साथ ग्राम–मनुआ मे सुरज पटेल के मुर्गी फॉर्म के पास पहुॅचा तो पुलिस बल को देखकर दो व्यक्ति मोटरसाईकिल नं0–बी.आर.31ए.ए.–5843 पर लदा बोड़ा छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया तथा नाम पता पुछने पर अपना अपना नाम संजय पासवान एवं सुरज पटेल बताया। मोटरसाईकिल पर लदे बोरा को खोलकर देखा गया तो गांजा जैसा पदार्थ लगा। इसकी सूचना थानाध्यक्ष महोदय को दिया गया तथा अंचालधिकारी मदोहय को सूचित किया गया तो अंचलाधिकारी महोदय घटना स्थल पर पहुॅचे। विधिवत अंचलाधिकारी महोदय के समक्ष मोटरसाईकिल पर लदा प्लास्टिक के बोरा के अंदर 12 पैकेट बरामद किया गया जिसे अलग अलग वजन किया गया, कुल वजन 35 किलो 200 ग्राम गांजा पाया गया।

काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक इस वाद मे दिनांक 17.07.2021 से काराधीन है। आवेदक द्वारा पूर्व मे जमानत आवेदन दाखिल किया गया थाा जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है तथा आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे जमानत आवेदन दाखिल किया गया था जिसे माननीय उच्च न्यायाल, पटना द्वारा खारिज किया गया है। इसके अलावा आवेदक द्वारा पूर्व मे कोई जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय, वैशाली,

Web Copy not Official
ADJ VAISHALI

न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश।
व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर।
NDPS(gr)no.- 44/2021
Hajipur Sadar P.S. Case no.- 648/2021

धारा 20/22/23/24/27/29 एन.डी.पी.एस. अधि0।

हाजीपुर, अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का पूर्व तीन अपराधिक इतिहास है। आवेदक के पास से कोई भी अवैध पदार्थ बरामद नही किया गया है। आरोप का गठन प्रस्तुत वाद मे हो चुका है। अभियोजन की ओर से दो साक्षी को परीक्षित कराया गया है जिसमे सूचक को भी परीक्षित कराया गया है। किसी भी साक्षी ने बरामद मोटरसाईकिल से वास्ता एवं सरोकार के संबंध मे आवेदक का नाम नही लिया है। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार अनुसंधानकर्ता ने मोटरसाईकिल के स्वामित्व के बारे मे अनुसंधान नही किया है। कंडिका 2 मे उल्लेखित है कि बरामद अवैध पदार्थ सुरज पटेल के मुर्गा फार्म के पास से बरामद किया गया है। प्रस्तुत घटना मे एन.डी.पी.एस. के अधिनियमो का पालन नही किया गया है। आवेदक को दुश्मनो के कारण फसा दिया गया है तथा सादे कागज पर हस्ताक्षर लेकर उसे स्वीकारोक्ति बयान मे बदला गया है। आवेदक काफी समय से काराधीन है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाये।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि आवेदक का जमानत आवेदन पूर्व मे माननीय सत्र न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर द्वारा खारिज किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी खारिज किया गया है। आवेदक का अपराधिक इतिहास है। आवेदक द्वारा अवैध गांजा का व्यवसाय किया जाता है तथा आवेदक ने स्वीकारोक्ति बयान मे घटना की संलिप्तता को स्वीकार किया है। आवेदक के पास से भारी मात्रा मे गांजा बरामद किया गया है। अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्षो को सुना, अभिलेख, कांड दैनिकी

न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश।
व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर।
NDPS(gr)no.- 44/2021
Hajipur Sadar P.S. Case no.- 648/2021

धारा 20/22/23/24/27/29 एन.डी.पी.एस. अधि0।

तथा प्राथमिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पदाधिकारी द्वारा छापामारी किया गया तो आवेदक एवं सह अभियुक्त मोटरसाईकिल नं0–बी.आर.31ए.ए.–5843 पर लदा बोड़ा छोड़कर भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया और मोटरसाईकिल पर लदे बोरे की तलासी लेने पर 35 किलो 200 ग्राम गांजा पाया गया। वाद दैनिकी की कंडिका 4 मे आवेदक के स्वीकारोक्ति बयान का उल्लेख किया गया है जिसमे आवेदक द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर अवैध गांजा एवं चरस का व्यवसाय मे संलिप्तता को स्वीकार किया है तथा लूट पाट की घटना कारित करना भी स्वीकार किया है। वाद दैनिकी की कंडिका 2 मे सूचक के पुनः बयान का उल्लेख किया है, कंडिका 23 एवं 24 के साक्षीगण ने प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया है। आवेदक का पूर्व अपराधिक इतिहास है जिसमे हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–427/2021 धारा 392 भा.द.वि., हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–526/2021 धारा 302, 394 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट, सराय थाना कांड सं0–174/2021 धारा 394 भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट मे दर्ज है। आवेदक द्वारा पूर्व मे जमानत आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर के न्यायालय के दाखिल किया गया था जिसे दिनांक 13.08.2021 को खारिज किया गया है तथा कि0मि0– 57200/2021 को दिनांक 05.04.2021 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज किया गया है साथ ही इस न्यायालय द्वारा भी आवेदक की ओर से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक 05.07.2022 को खारिज किया गया है। अभिलेख साक्ष्य हेतु नियत है। आवेदक के पास से बरामद गांजा की मात्रा व्यवसायिक प्रकृति की प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त सभी तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक मे आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश।
व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर।
NDPS(gr)no.- 44/2021
Hajipur Sadar P.S. Case no.- 648/2021

धारा 20/22/23/24/27/29 एन.डी.पी.एस. अधि0।

फलस्वरूप काराधीन अभियुक्त संजय पासवान उर्फ संजय कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(Deepak Kumar Singh)
Addl. Sessions Judge-I
Vaishali at Hajipur
25-04-2023

Web Copy Not Official
ADJ1 VAISHALI